




### कार्यालय आदेश

राज्य बोर्ड की 24वीं बैठक दिनांक 10.06.2020 के कार्यालय आदेश सं० यूईपीसीबी/एच.ओ./सा०-०६-२४वीं बो० बै०/२०२०/११३९-२३१ दिनांक २५.०६.२०२० के माध्यम से निम्न निर्णय लिया गया :-  
“अभी तक स्थापनार्थ/संचालनार्थ/प्राधिकार हेतु आवेदन नहीं किये गये होटल/चिकित्सालय बोर्ड गठन से पूर्व स्थापित एम०एस०एम०ई० द्वारा ३१.०७.२०२० तक आवेदन करने की स्थिति में उनसे ३१.०३.२०२० तक शुल्क न लिया जाय। इसके साथ-साथ यह भी निर्णय लिया गया कि आश्रम एवं धर्मशालाओं से सहमति प्राप्त करने हेतु स्थापनार्थ सहमति/संचालनार्थ सहमति शुल्क ३१ मार्च, २०२३ तक न लिया जाय।”

एतद्वारा होटल/चिकित्सालय बोर्ड गठन से पूर्व स्थापित एम०एस०एम०ई० द्वारा ३१.०७.२०२० तक आवेदन करने की तिथि को अग्रेतर दिनांक ३१.१२.२०२० तक बढ़ाया जाता है।


  
(एस० पी० सुबुद्धि)  
सदस्य सचिव

यूईपीसीबी/एच.ओ./ सा०-०६-२४वीं बो० बै० /२०२०/ 575

दिनांक 13.08.2020

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (तकनीकी), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वैज्ञानिक), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री पी० के० जोशी, पर्यावरण अभियंता/डा० अंकुर कंसल, पर्यावरण अभियंता/श्री एस० पी० सिंह, पर्यावरण अभियंता उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून/रुड़की/काशीपुर/हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. गार्ड फाईल

  
पर्यावरण अभियंता (प्रशा०)

(७५)